FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0025 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/02/2024 17:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:10 बजे **Time To (समय तक):** 17:17 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/02/2024 **Time (समय):** 14:20 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/02/2024 17:07:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 1 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** UIT Bikenar

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Ashok Kumar Pooniya

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Banwarilal Bishnoi

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Bhna, Mandi Aadmpur, हिसार, हरियाणा, INDIA
2	स्थायी पता	Bhna, Mandi Aadmpur, हिसार, हरियाणा, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9896500629

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Ganesh Kalwani		पिता:Cheatndas Kalwani	1. Out side of Natthusar Gat,Lane Side Baba Ramdev Park,Bhato ka bas,BIKANER,RAJASTHAN,INDI
2	Manish Kumar Khatri		पिता:Jagdishchandra Khatri	1. 9/189,Muktaprasad Colony,BIKANER,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		70,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 70,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 06.02.2024 को परिवादी श्री अशोक कुमार पूनिया पुत्र बनवारी लाल बिश्नोई उम्र-50 वर्ष निवासी मकान नं 622, गांव भाणा, तहसील आदमपुर मण्डी, जिला हिसार (हरियाणा) ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, बीकानेर में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सेवा मे श्रीमान एडिशनल एस. पी. साहब एंटी करप्शन ब्यूरो बीकानेर विषय: नगर विकास न्यास, बीकानेर में टेंडर प्राप्त कर हमारी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाईटों संबंधी किए गए कार्य हेतु न्यास में जमा करवाई गई ईएमडी राशि कंपनी को लौटाने तथा कंपनी को किए जा चुके भुगतानों के दौरान न्यास द्वारा रोकी गई एस.डी. राशि व विदहैल्ड राशि को लौटाने की ऐवज में रिश्वत मांगने पर नगर विकास न्यास के कर्मचारी गणेश कलमानी तथा कैशियर श्री मनीष को ट्रैप करवाने के संबंध में। महोदय निवेदन है कि मैं गत 6 वर्षो से कंपनी UDAY BUILDWELL PRIVATE LIMITED, REGISTERED OFFICE 204, 1ST FLOOR, A-6 LSC DDA MARKET, PASCHIM VIHAR, NEW DELHI, CIN : U45400DL2008PTC175635 में राजस्थान क्षेत्र के सुपरवाईजर के रुप में कार्य कर रहा हूं। हमारी कंपनी के द्वारा विभिन्न राज्यों में नगर विकास न्यास क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट, पार्क लाईट, हाई पावर की बिजली की तारें बिछाने आदि कार्यों के ठेके ऑनलाईन प्राप्त किए जाते हैं। राजस्थान राज्य में प्राप्त किए गए उक्त ठेकों के कार्य आदेश प्राप्त होने के बाद राजस्थान में कंपनी सुपरवाईजर की हैसियत से सामान आपूर्ति का कार्य मेरे द्वारा किया जाता है तथा कार्य समाप्ति पश्चात् नगर विकास न्यास से भुगतान प्राप्ति की समस्त कार्यवाही भी मेरे द्वारा ही की जाती है। हमारी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास न्यास, बीकानेर की निविदा नं. 13 III 2018-19 04, 05, 06, 07, 08, 09 में स्ट्रीट लाईट, पार्क लाईट, हाई मास्क लाईट के कुल 6 टेंडर के लिए ऑनलाईन आवेदन करके टेंडर प्राप्त किया था। उक्त कार्यों में से निविदा नं. 13 III 2018-19 05, 06 के हाई मास्ट संबंधी कार्यादेश क्रमशः नविन्या बीका अ.अभि.III 2018-19 31524 दिनांक 07.08.2018 व 31511 दिनांक 07.08.2018 होने के उपरांत हमारी कंपनी ने किसी कारणवश कार्य प्रारंभ नहीं किया था व उक्त दोनों कार्य को निरस्त करवा लिया गया था, कंपनी ने निविदा नं. 13 III 2018-19 04, 07, 08, 09 से संबंधी कार्य आदेश क्रमशः नविन्या बीका अ.अभि.III 2018-19 31576 दिनांक 07.08.2018, 31537 दिनांक 07.08.2018, 31550 दिनांक 07.08.2018 व 31563 दिनांक 07.08.2018 स्ट्रीट लाईट, पार्क लाईटों की स्थापना, केबल रेनोवेशन वर्क आदि संबंधी जारी होने पर कार्य प्रांरभ कर पूर्ण किया था, उक्त कार्यों की मेंटिनेंस अवधि 3 वर्ष की थी, कंपनी की ओर से उक्त 6 कार्यों के कार्यादेश जारी होने के बाद ई.एम.डी. राशि नगर विकास न्यास, बीकानेर के खाते में जमा करवाई गई थी जिसमें से कंपनी की ओर से नगर विकास न्यास, बीकानेर में पूर्ण करवाए जा चुके उपर्युक्त 4 कार्यों संबंधी ई.एम.डी. राशि कंपनी को पूर्व में प्राप्त हो चुकी है तथा 2 निरस्त करवाए गए कार्यों की ई.एम.डी. राशि 1,79,485 रुपये वर्तमान में भी नगर विकास न्यास बीकानेर में जमा है तथा कंपनी को अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा वर्ष 2019 में उपर्युक्त 4 कार्यों को पूर्ण करने की ऐवज में कंपनी को किए गए भुगतान की राशि के बिलों में भी नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा 10 प्रतिशत एस. डी. राशि के नाम पर कुल 12,48,513 रुपये की राशि तथा कुल विदहोल्ड राशि 4,50,000 रुपये को जान बूझकर रोका हुआ है। जबकि हमारे द्वारा कार्य को समाप्त करने के बाद मेटिनेंस अवधि भी गुजर चुकी है। नगर विकास न्यास, बीकानेर के कर्मचारी कंपनी को भुगतान की जाने योग्य उक्त ईएमडी राशि, एस.डी राशि, विदहोल्ड राशि को लेकर हमारी कंपनी अधिकारियों व मुझे लगातार गुमराह कर रहे हैं तथा भुगतान कर देने के झूठे आश्वासन दे रहे हैं, मैं वर्ष 2021 से 2024 तक लगातार नगर विकास न्यास, बीकानेर में हमारी कंपनी की उक्त राशियों को प्राप्त करने की कार्यवाही के लिए चक्कर काट रहा हूं, मैं जब भी नगर विकास न्यास, बीकानेर के कर्मचारियों से मिलता हूं तो ये लोग हर बार मुझसे रिश्वत राशि की मांग करते हैं, मैं पिछली बार 11 जनवरी 2024 को नगर विकास न्यास, बीकानेर में पुनः कंपनी के उक्त भुगतान प्राप्त करने के कार्य के लिए गया था तो वहां पर मेरे कार्य को डील करने वाले कर्मचारी श्री गणेश कलमानी मिले थे जिन्होंने मुझसे कंपनी की पेंडिंग भुगतान राशियों को जारी करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का 4.25 प्रतिशत रिश्वत के रुप में मांगे थे। श्री गणेश कलमानी ने नगर विकास न्यास, बीकानेर में कंपनी द्वारा किए गए 3 कार्यों से संबंधित भुगतान योग्य कुल राशि लगभग 10 लाख रुपये होनी बताई थी, जिसकी 4.25 प्रतिशत के अनुसार रिश्वत राशि 42500 रुपये होना बताते हुए राउंड फिगर मे 40,000 रुपये रिश्वत की एडवांस में मांग की थी, इस पर मैंने उन्हें कंपनी को पहले कुछ राशि भुगतान कर

देने पर तथा बाद में अन्य कार्य की बची हुई राशि भुगतान करने से पूर्व रिश्वत राशि देने के लिए उनको आश्वासन दिया था, मेरे पास दिनांक 24 01 2024 को मोबाइल नंबर 9828467297 से काल आया था और मुझे अपना नाम श्री मनीष कैशियर, नगर विकास न्यास, बीकानेर होना बताया था, श्री मनीष ने मुझे बताया था कि आपकी कंपनी का 7,49,161 रुपयों का चैक तैयार है, आप आकर प्राप्त कर लें। उन्होंने मुझसे कंपनी की पुरानी भुगतान राशियों में से तथा इस चैक को मुझे देने की ऐवज में चैक राशि के अनुसार रिश्वत की मांग की थी, मोबाइल कॉल वार्ता होने के कारण श्री मनीष ने स्पष्ट रुप से मुझे रिश्वत राशि के बारे में नहीं बताया था, यह रिश्वत राशि के बारे में वह मेरे चैक के संबंध में उनसे मिलने के समय पर ही बताएगा, इस प्रकार नगर विकास विकास न्यास, बीकानेर के कर्मचारी श्री गणेश कल्मानी तथा कैशियर श्री मनीष हमारी कंपनी को राशि 7,49,161 रुपये का चैक मुझे देने की ऐवज में तथा कंपनी के शेष रहे भुगतानों की प्रक्रिया भी शुरु करने की ऐवज में रिश्वत राशि की मांग मुझसे कर रहे हैं। इसके अलावा ये मुझसे कंपनी को पूर्व में किए गए भुगतानों की ऐवज में भी रिश्वत की मांग कर रहे हैं। हमारी कंपनी का लगभग 18-19 लाख रुपयों का भुगतान नगर विकास न्यास, बीकानेर में बकाया है, रिश्वत न देने के कारण ये लोग स्पष्ट रुप से हमारी कंपनी को कोई हिसाब भी नहीं बताते हैं तथा मांगे जाने पर हिसाब व कटौतियों के आधे अधूरे कागज ही हमें दिए गए हैं, मैं तथा कंपनी के लोग राजस्थान क्षेत्र के बाहर के निवासी हैं तथा बीकानेर आने जाने में अत्यधिक खर्च लगता है। इसलिए ये लोग मुझको काफी चक्कर कटवाते हैं तथा हमें परेशान करके रिश्वत राशि हमसे ऐंठना चाहते हैं, मैं तथा कंपनी के अधिकारी कंपनी की ई.एम.डी., एस.डी. तथा विदहोल्ड राशि प्राप्त करने के लिए नगर विकास न्यास, बीकानेर के कर्मचारी श्री गणेश कल्मानी तथा श्री मनीष को कोई रिश्वत नहीं देना चाहते हैं तथा उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो, बीकानेर से ट्रैप करवाकर पकड़वाना चाहते हैं। श्री गणेश कलमानी से मैं मोबाइल फोन पर भी हमारे भुगतानों के लिए रिक्वेस्ट कर चुका हूं जिनके मोबाइल नंबर 9261157977 हैं, कानुनी कारवाई करने का कष्ट करे दिनाक 06 02 2024 प्रार्थी एस.डी-अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी मकान नं 622, गांव भाणा, तहसील आदमपुर मण्डी, जिला हिसार (हरियाणा) मोबाइल नं. 9896500629 दिनांक 06.02.2024 को वक्त 05:10 पी.एम. पर श्रीमाऩ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे एक व्यक्ति से मेरा आपसी परिचय करवाते हुए व्यक्ति का विवरण ब्यूरो का परिवादी श्री अशोक कुमार पूनियां पुत्र बनवारीलाल बिश्नोई उम्र 50 वर्ष निवासी मकान नं. 622, गांव भाणा, तहसील आदमपुर मंडी, जिला हिसार (हरियाणा) होना बताया। परिवादी श्री अशोक बिश्नोई द्वारा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की गई 3 पृष्ठीय हस्तलिखित रिपोर्ट के संबंध में श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अग्रतर कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश प्रदान किए जाकर रिपोर्ट मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई। इस पर परिवादी श्री अशोक को हमराह लेकर मैं पुलिस निरीक्षक अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट को पढकर परिवादी को सुनाया गया तो परिवादी ने हस्तलिखित रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्यों पर सहमति प्रकट की। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक के पूछने पर रिपोर्ट स्वयं के हस्तलेख में होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के ही हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने बताया कि कंपनी UDAY BUILDWELL PRIVATE LIMITED, REGISTERED OFFICE 204, 1ST FLOOR, A-6 LSC DDA MARKET, PASCHIM VIHAR, NEW DELHI, CIN : U45400DL2008PTC175635 ने मुझको नगर विकास न्यास, बीकानेर के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर से कानूनी कार्यवाही करवाने के लिए अधिकृत किया है। यह अधिकार पत्र मैं कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत कर दूंगा, कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि होने का पत्र मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए 6 कार्यों से संबंधित कार्य आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जिसे प्राप्त कर अवलोकन किया गया। परिवादी ने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की जिसे अवलोकन किया गया। इसके अलावा परिवादी ने नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा पूर्व में कंपनी को किए जा चुके 4 भुगतानों संबंधी अपूर्ण दस्तावेज भी मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किए जिसे अवलोकन किया गया। परिवादी ने बताया कि नगर विकास न्यास, बीकानेर के कर्मचारी हमें भुगतान संबंधी दस्तावेज भी काफी बार निवेदन करने पर मनमाने ढंग से आधे अधूरे ही प्रदान करते हैं इसलिए यह दस्तावेज अपूर्ण हैं। परिवादी ने बताया कि प्रार्थना पत्र में अंकित ई.एम.डी., एस.डी., विदहैल्ड राशियां कंपनी के खातों के अनुसार लिखी गई हैं जो कि नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा भुगतान योग्य राशियां से कुछ भिन्न हो सकती हैं। परिवादी ने बताया कि नगर विकास न्यास, बीकानेर से कंपनी को जारी हो चुकी राशि 7,49,161 - रुपये का चैक प्राप्त करने संबंधी कार्य के लिए कैशियर श्री मनीष से तथा कंपनी के बकाया रहे भुगतान को जारी करवाने के लिए श्री गणेश कलमानी से मिलना पड़ेगा। परिवादी ने उक्त मुलाकात होने के दौरान कैशियर श्री मनीष व कर्मचारी श्री गणेश कलमानी द्वारा पहले किए गए भुगतानों के लिए, चैक प्रदान करने के लिए तथा पेंडिंग बकाया भुगतान करवाने के लिए रिश्वत मांगने संबंधी वार्ता होने की बात बताई तथा पूर्व में हुई मुलाकातों के दौरान भी आरोपीगण द्वारा परिवादी से नियमित रिश्वत मांगने संबंधी तथ्यों के बारे में परिवादी ने बताया। परिवादी ने बताया कि मेरी कमर्चारी श्री गणेश कलमानी व कैशियर श्री मनीष से कोई शत्रुता नहीं है, ना ही हमारा कोई आपसी उधारी का लेनदेन का मामला है, मैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर के माध्यम से नगर विकास न्यास बीकानेर के भ्रष्ट कर्मचारी श्री गणेश कलमानी तथा श्री मनीष कैशियर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवाना

चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि होने संबंधी मूल पत्र, कार्य आदेशों की प्रमाणित प्रतियां, कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, भुगतान संबंधी अपूर्ण दस्तावेज तथा परिवादी के आधार कार्ड की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किए गए। रिपोर्ट परिवादी, प्रस्तुत दस्तावेज, पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की परिधि में आना प्रथम दृष्टया पाये जाने से परिवादी श्री अशोक कुमार को रिश्वत मांग व सत्यापन कार्यवाही की आवश्यकता एवं प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी ने बताया कि अब नगर विकास न्यास, बीकानेर कार्यालय के कार्यालय समय की समाप्ति होने वाली है। मैं कल दिनांक 07.02.2024 को लगभग 12:30 पीएम के बाद श्री मनीष कैशियर तथा श्री गणेश कलमानी से उनके कार्यालय में मुलाकात करके मेरे काम के संबंध में बात करुंगा और वार्ता के दौरान उनके द्वारा मुझसे मांगी जा रही रिश्वत के तथ्यों का सत्यापन करवा दूंगा क्यूंकि नगर विकास न्यास बीकानेर कर्मचारी देरी से ही कार्यालय में बैठते हैं। परिवादी ने बताया कि मैं आज रात्रि को बीकानेर शहर में विश्राम करुंगा तथा कल दिनांक 07.02.2024 को 11:30 ए.एम. तक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को उचित निर्देश प्रदान किए जाकर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 07.02.2024 को 11:55 ए.एम पर परिवादी रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। श्री हरीराम कानि 210 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं की जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चा्त् श्री हरीराम कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर हरीराम कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड मालखाना से प्रापत कर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री अशोक कुमार व श्री हरीराम कानि. को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। तत्पश्चात वक्त 12:30 पी.एम. पर श्री हरीराम कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु डीवीआर मय सील्ड मेमोरी कार्ड स्थापित कर दिया जाकर निर्देशित किया गया कि आप परिवादी के साथ नगर विकास न्यास, बीकानेर कार्यालय के पास पहुंचकर आरोपीगण द्वारा की जा रही रिश्वत मांग की सत्यापन कार्यवाही करवाएं। श्री हरीराम कानि. को उचित निर्देश प्रदान कर परिवादी श्री अशोक कुमार के साथ ब्यूरो चौकी से नगर विकास न्यास, बीकानेर कार्यालय के लिए रवाना किया गया। वक्त 01:25 पी.एम. पर श्री हरीराम कानि. मय परिवादी श्री अशोक कुमार ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुए। श्री हरीराम कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने पूछताछ में बताया कि मैं व हरीराम कानि. ब्यूरो चौकी से रवाना होकर नगर विकास न्यास, बीकानेर के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचे थे, मैं श्री हरीराम कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग चालू करवाकर अपने साथ लेकर नगर विकास न्यास, बीकानेर के कार्यालय में पहुंचा था। वहां पर मैं कैशियर श्री मनीष से मिला था तो उन्होंने मुझसे वार्ता के दौरान चैक उनके द्वारा ही खाते में लगाने अथवा मुझे ही ले जाने का विकल्प दिया था जिस पर मैंने खुद ही ले जाने के लिए सहमति दी थी। चैक राशि 7,49,161 - रुपयों का था। उन्होंने इस लगभग 7.50 लाख रुपये चैक के 2 प्रतिशत के हिसाब से पहले मुझसे 15,000 रुपये रुपये सैकेट्री के लिए रिश्वत मांगी तथा बाद में कुल 20,000 रुपये रिश्वत मांगी है जो कि उसने स्वयं तथा सैक्रेट्री दोनों के लिए होना बताया है। इसके अनुसार आरोपी श्री मनीष 15,000 रुपये रिश्वत सैक्रेट्री के नाम से मांग कर रहा है तथा शेष 5000 रुपये स्वयं के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। परिवादी ने बताया कि श्री मनीष से चैक प्राप्त करके मैंने उनको आगामी शुक्रवार अर्थात् 09.02.2024 तक 20000 रुपये रिश्वत राशि देने का आश्वासन दे दिया था। मैंने श्री गणेश कलमानी जी का मालूम किया तो वह कार्यालय में नहीं थे, मैंने उनको कॉल लगाया तो उन्होंने कॉल का उत्तर नहीं दिया, उसके बाद मैंने वहां कर्मचारियों से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने श्री गणेश कलमानी जी का अवकाश पर होना बताया। श्री मनीष ने मुझको चैक देकर मेरे साईन व मोबाइल नंबर चैक राशि से संबंधित दो वाउचरों पर लिखवाए थे। श्री गणेश कलमानी के पास लंबित काम के बारे में मैंने श्री मनीष से बात की तो उन्होंने श्री गणेश कलमानी से ही बात करने के लिए कहा था। श्री मनीष ने मुझे कल फोन पर श्री गणेश कलमानी के अवकाश से वापसी के बारे में पूछ लेने का भी कहा था। परिवादी ने बताया कि इसके बाद मैं नगर विकास न्यास, बीकानेर से निकलकर वापस श्री हरीराम कानि. के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचा था तो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बंद करवा लिया था। तत्पश्चात् वहां से रवाना होकर हम ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुए हैं। परिवादी ने आरोपी श्री मनीष से प्राप्त कर अपने साथ लाया हुआ आई.सी.आई.सी.आई बैंक खाता सं. 023401004605 चैक सं. 006546-334229002-004605-31 प्रस्तुत किया। उक्त चैक पर "पे-एम एस उदय बिल्डवैल प्रा.लि." तथा राशि 749161 - दिनांक 19.01.2024 अंकित है। चैक पर नीचे सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर तथा अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, बीकानेर की स्टांप तथा हस्ताक्षर किए हुए हैं। परिवादी से उक्त चैक की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त की जाकर मूल चैक परिवादी को कंपनी के बैंक खाते में लगाए जाने हेतु लौटाया गया। परिवादी द्वारा बताया गया कि आरोपी श्री मनीष से वार्ता के दौरान मनीष ने उक्त चैक राशि से संबंधित वाउचर की फोटो लेने के लिए कहा था जिस पर मैंने अपने मोबाइल में फोटो खींच ली थी। परिवादी से उक्त दोनांे वाउचर की फोटो की प्रिंटआउट प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वाउचर के अवलोकन से एक वाउचर पर Order for Refund of Security Deposits शीर्षक अंकित है। नीचे M S Udai Build Well Pvt. Ltd.

राशि 493739 लिखा है तथा कार्य का नाम Providing Fixing Park Light and renovation work at different parks in JNV Colony Bikaner area है जिसका मिलान परिवादी द्वारा पूर्व में उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों से करने पर उक्त कार्य संबंधी नगर विकास न्यास, बीकानेर का कार्य आदेश क्रमांक नविन्या बीका अ.अभि.III 2018-19 31563 दिनांक 07.08.2018 होना पाया गया तथा इस पर चैक 006546 19.01.24 आदि लिखा हुआ है। इसके अलावा अन्य विवरण भी लिखा हुआ है। दूसरे वाउचर के अवलोकन से Order for Refund of Security Deposits शीर्षक अंकित है। नीचे M S Udai Build Well Pvt. Ltd. राशि 255422 - Rs लिखा है तथा कार्य का नाम Providing Fixing Park Light and renovation work at different parks Various location in Bikaner area है जिसका मिलान परिवादी द्वारा पूर्व में उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों से करने पर उक्त कार्य संबंधी नगर विकास न्यास, बीकानेर का कार्य आदेश क्रमांक नविन्या बीका अ.अभि.III 2018-19 31537 दिनांक 07.08.2018 होना पाया गया। इसके अलावा अन्य विवरण भी लिखा हुआ है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप पर चैक करने पर परिवादी के बताए अनुसार तथ्यात्मक वार्ता की रिकॉर्डिंग होनी पाई गई जिसका विवरण निम्नानुसार होना पाया गया-

S. N.
FILE NAME
DATE AND TIME OF CREATION
dd-mm-yyyy
hh:mm (24 Hrs)
HASH VALUE
(SHA-1)
1 240207 1253
07-02-2024
12:53 1bdf1 f559eeb45b7abcb47b9002ede0d53ea9d9

डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को लैपटॉप से निकालकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री अशोक कुमार ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि यदि मैं मनीष को उसके मांगे अनुसार 20000 रुपये की रिश्वत नहीं दूंगा तो वह हमारी कंपनी को नगर विकास न्यास, बीकानेर से होने वाले भावी भुगतानों के चैक काटने तथा चैक देने में अड़चन पैदा कर सकता है अथवा विलंबित कर सकता है। परिवादी ने बताया कि मैंने श्री मनीष को दिनांक 09.02.2024 शुक्रवार को रिश्वत राशि देने की लिए सहमति दी है परंतु आरोपी श्री गणेश कलमानी से सत्यापन हो जाने से पूर्व आरोपी श्री मनीष को रिश्वत देने से आरोपी श्री गणेश कलमानी एसीबी कार्यवाही को लेकर सतर्क हो सकता है, इसलिए आरोपी श्री मनीष को रिश्वत राशि श्री गणेश कलमानी से रिश्वत मांग सत्यापन के पश्चात् दिया जाना ही उचित होगा। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 07.02.2024 की रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही के लिए कहा गया तो परिवादी श्री अशोक कुमार द्वारा बीकानेर शहर में ही अपने व्यक्तिगत आवश्यक कार्य से जाने की अनुमति चाही व दिनांक 08.02.2024 को ही ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु उपलब्धता संभव होना अवगत करवाया। परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 08.02.2024 को आरोपी श्री मनीष कैशियर को कॉल करके अथवा गोपनीय रुप से नगर विकास न्यास, बीकानेर कार्यालय में आरोपी श्री गणेश कलमानी के अवकाश से वापस आने के बारे में पता करवा लूंगा। आरोपी श्री गणेश कलमानी के अवकाश से वापस आ जाने की स्थिति में मैं उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत के बारे में सत्यापन कार्यवाही करवा दूंगा। परिवादी ने बताया कि ट्रूकॉलर के अनुसार तथा श्री मनीष से आज दिनांक 07.02.2024 को उसके कार्यालय में हुई वार्ता के अनुसार आरोपी श्री गणेश कलमानी का सही नाम श्री गणेश कलवानी होना ज्ञात हुआ है जिसके बारे मैं कल तक आपको सही सही पता करके बता दूंगा। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को उचित निर्देश प्रदान कर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। संपूर्ण हालात की जानकारी श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक को प्रदान की गई।

दिनांक 08.02.2024 को समय 12:40 पी.एम पर परिवादी श्री अशोक कुमार ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए तथा मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैंने गोपनीय रुप से नगर विकास न्यास, बीकानेर में पता किया तो आरोपी का सही नाम श्री गणेश कलमानी न होकर श्री गणेश कलवानी है तथा वह नगर विकास न्यास, बीकानेर में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। आरोपी श्री गणेश कलवानी आज अपने कार्यालय में उपस्थित होना ज्ञात हुआ है। परिवादी ने बताया कि मैं आज ही आरोपी श्री गणेश कलवानी से मिलकर उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत संबंधी मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। इस पर समय 01:00 पीएम पर श्री हरीराम कानि. को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय में बुलाया जाकर परिवादी से मिलवाया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को अपनी कार्यालय आलमारी से निकालकर श्री हरीराम कानि. को सुपुर्द किया तथा परिवादी के साथ

कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने पूछताछ में बताया कि मैं व हरीराम कानि. ब्यूरो चौकी से रवाना होकर नगर विकास न्यास, बीकानेर के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचे थे, मैं श्री हरीराम कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग चालू करवाकर अपने साथ लेकर नगर विकास न्यास, बीकानेर के कार्यालय में पहुंचा था। मैंने वहां पर जूनियर अकाउंटेंट श्री गणेश कलवानी जी को उनके कमरे में देखा तो वे वहां पर नहीं थे। मैंने मेरा उनको ऑफिस में होने का मैसेज किया तो उन्होंने आ रहा हूं का मैसेज से वापस जवाब दिया। मैंने कुछ देर उनका नगर विकास न्यास, बीकानेर के बाहर इंतजार किया तो श्री गणेश कलवानी जी कार्यालय के बाहर से नगर विकास न्यास, बीकानेर पार्क के पास आए तथा अन्य 3-4 लोगों से वार्ता की। उसके बाद श्री गणेश कलवानी मुझे देखकर नगर विकास न्यास पार्क में मेरे से भुगतान संबंधी वार्ता करनी प्रारंभ कर दी तथा कुल 20 लाख रुपये कंपनी को देय भुगतान योग्य राशि के 4.25 प्रतिशत के हिसाब से 85000 रुपये होने बताए। मेरे द्वारा उनको कंपनी के बना हुआ हिसाब बताने के बाद श्री गणेश कलवानी जी ने 19 लाख रुपये कंपनी के देय भुगतान योग्य राशि के 4.25 प्रतिशत के हिसाब से 80000 रुपये की रिश्वत बनना बताकर कम करते हुए 75000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की। मेरे द्वारा उनको वार्ता के अंत में 7.50 लाख रुपये का चैक भुगतान राशि खाते में आने पर कंपनी की बची हुई राशि के भुगतान की ऐवज में 70000 रुपये की रिश्वत देने का कहा तो श्री गणेश कलवानी जी ने मुझे कहा कि रुपये आते ही दे देना, मैं आपका काम कर दूंगा, श्री गणेश कलवानी द्वारा यह 70000 रुपये रिश्वत कंपनी को कल किए गए 7,49,161 रुपयों के चैक भुगतान तथा बाकी शेष रहे लगभग 12 लाख रुपये कुल लगभग 19 लाख रुपये भुगतान की ऐवज में मांगी गई है। श्री गणेश कलवानी से वार्ता के दौरान मैंने कैशियर श्री मनीष द्वारा मुझसे 2 प्रतिशत के हिसाब से कल दिनांक 08.02.2024 को मांगी गई राशि के बारे में श्री गणेश कलवानी जी को बताया तो उन्होंने मनीष का अलग से हिसाब करने से मुझे मना करते हुए आरोपी मनीष सहित सारा हिसाब स्वयं के द्वारा ही करने का कहते हुए मुझे बताया कि कंपनी को भुगतान होने वाली राशियों की रिश्वत के रुप में कुल 4.25 प्रतिशत राशि मे से 0.25 प्रतिशत हिस्सा कैशियर मनीष का, 2 प्रतिशत हिस्सा सचिव का तथा 2 प्रतिशत हिस्सा अकाउंट का अर्थात् स्वयं का होना बताया था। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप पर चैक करने पर परिवादी के बताए अनुसार तथ्यात्मक वार्ता की रिकॉर्डिंग होनी पाई गई जिसका विवरण निम्नानुसार होना पाया गया-

S. N.
FILE NAME
DATE AND TIME OF CREATION
dd-mm-yyyy
hh:mm (24 Hrs)
HASH VALUE
(SHA-1)
1 240208_1314 08-02-2024
13:14 948436a82a76ef390abf620e61406bb3084ddf8b

डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को लैपटॉप से निकालकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। अब तक के संपूर्ण हालात की जानकारी अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रदान की जाकर कार्यवाही के संबंध में विचार विमर्श किया गया। परिवादी श्री अशोक कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की कार्यवाही के बारे में कहा जाने पर परिवादी ने जलपान तथा अन्य व्यक्तिगत कार्यों से कुछ देर हेतु ब्यूरो से प्रस्थान की अनुमति चाही। परिवादी को ब्यूरो कार्यालय लौटने संबंधी उचित निर्देश प्रदान किए जाकर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

वक्त 03:20 पीएम पर आगामी ट्रैप कार्यवाही की संभावना के दृष्टिगत स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), बीकानेर को इस कार्यालय से पत्र क्रमांक 768 दिनांक 08.02.2024 जारी किया जाकर श्री मनोहरलाल कानि. को प्रदान कर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया। वक्त 04:10 पी.एम पर परिवादी श्री अशोक कुमार ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को आलमारी से निकालकर कार्यालय लैपटॉप से कनैक्ट किया जाकर परिवादी श्री अशोक कुमार की उपस्थिति में श्री हरीराम कानि. की सहायता से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं दिनांक 07.02.2024 व 08.02.2024 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट समय 04:15 पर तैयार की जानी प्रारंभ की गई। इस दौरान वक्त 05:10 पी.एम. पर श्री मनोहरलाल कानि. कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), बीकानेर से श्री मोहनलाल कुलड़िया सहायक कृषि अधिकारी एवं श्री रमेश चंद्र भांभू सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), बीकानेर को हमराह लेकर उपस्थित आया। गोपनीय राजकार्य की संभावना के

08.02.2024 को सुन सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट हरीराम कानि. की सहायता से तैयार की गई। रिकॉर्ड दोनों वार्ताओं की फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर प्लास्टिक सेफ्टी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को अग्रतर कार्यवाही हेतु स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। पीतल सील सं. 75 को सुरक्षित अपने पास रखा गया। सत्यापन संबंधी रिकार्ड दो वार्ताओं दिनांक 07.02.2024 व 08.02.2024 संबंधी उपर्युक्त वजह सबूत एक थैली में सील्ड मैमोरी कार्ड, एक थैली में सील्ड पैन ड्राईव तथा एक अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुली पैन ड्राईव को श्री बजरंग सिंह एएसआई के माध्यम से जमा मालखाना करवाया गया।

उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं से पाया गया कि कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर के आरोपी कैशियर श्री मनीष ने दिनांक 07.02.2024 को परिवादी श्री अशोक कुमार से अपने कार्यालय में संपन्न रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी को कंपनी मैसर्स उदयबिल्ड प्रा. लि. की दो एस.डी. राशि के कंपनी के नाम से चैक दिनांकित 19.01.2024 राशि 7,49,161 - रुपये दिए जाकर चैक राशि के 2 प्रतिशत के अनुसार 15000 रुपये सैकेट्री के नाम से रिश्वत राशि की मांग की जाकर सैकेट्री व स्वयं दोनों के 20 करने का कहते हुए कुल 20000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर के आरोपी जूनियर अकाउंटेंट श्री गणेश कलवानी ने परिवादी श्री अशोक कुमार से अपने कार्यालय में दिनांक 08.02.2024 को संपन्न रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी कंपनी के ई.एम.डी., विदहोल्ड, एस.डी. राशि लगभग 19 लाख रुपये में से किए जा चुके पिछले भुगतान अर्थात् 7,49,161 - रुपये तथा शेष रहे भुगतान का 4.25 प्रतिशत के हिसाब से 'हिसाब' करने का कहते हुए निष्कर्षतः लगभग 19 लाख रुपये राशि का 4.25 प्रतिशत के हिसाब से 80000 रुपये रिश्वत राशि बनाते हुए 75000 रुपये रिश्वत राशि की परिवादी से मांग की तथा वार्ता में कहा कि रुपये दे जाओ, मैं जिता भी रिमेनिंग सारा बैठकर आपके सामने कर दूंगा परिवादी के कहने पर कि आज मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे' आरोपी श्री गणेश कलवानी ने कहा कि आते ही आप मेरे को दे देणा, मैं हाथ के हाथ काम कर दूंगा। इस पर अंत में परिवादी ने आरोपी श्री गणेश कलवानी को 70,000 रुपये रिश्वत राशि देने के लिए कहा तथा खाते में पैसे आ जाने की बता बताई तो आरोपी श्री गणेश कलवानी पुनः आते ही आप मेरे को दे देणा, मैं हाथ के हाथ काम कर दूंगा आपका कहा।

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों आरोपीगण द्वारा स्पष्ट रुप से परिवादी श्री अशोक कुमार से कंपनी के बकाया भुगतान राशियों ई. एम.डी., विदहैल्ड, एस.डी. राशि भुगतान की ऐवज में सचिव के लिए तथा स्वयं के लिए रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया है। दिनांक 08.02.2024 की वार्ता के आधार पर परिवादी से श्री मनीष के द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 20000 रुपये के बारे में विचार विमर्श में परिवादी ने बताया कि दिनांक 08.02.2024 की वार्ता में श्री गणेश कलवानी को कैशियर श्री मनीष द्वारा मुझसे मांगी गई रिश्वत राशि के बारे में मेरे द्वारा बताने पर श्री गणेश कलवानी ने मना करते हुए कैशियर श्री मनीष को भी हिसाब स्वयं ही करना बताया था, इससे यह निश्चित है कि श्री गणेश कलवानी ने मुझसे वार्ता हो जाने के बाद अवश्य ही कैशियर श्री मनीष को इस बारे में सख्ती से पूछा होगा। इसके बाद भी यदि मैं श्री मनीष को उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत देने का प्रयास करुंगा तो वह श्री गणेश कलवानी के कारण से मुझसे अब रिश्वत नहीं लेगा तथा श्री गणेश कलवानी को मेरे द्वारा श्री मनीष को रुपये देने की भनक लगने पर वह मुझसे नाराज होकर मुझसे रिश्वत प्राप्त करने में तथा मेरा काम करने में आनाकानी कर सकता है। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर के 2 प्रतिशत रिश्वत राशि के बारे में परिवादी से पूछा तथा सचिव से रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही की संभावना के बारे में विचार विमर्श किया तो परिवादी ने कहा कि सचिव से मिलने का प्रयत्न करने से संपूर्ण ट्रैप कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव हो सकता है क्यूंकि सचिव कभी किए जाने वाले समस्त भुगतानों के बारे में स्वयं सीधे कंपनी या ठेकेदार के व्यक्तियों से बात नहीं करते हैं तथा भुगतान लेने वालों को भी भुगतान प्राप्त करने प्रक्रिया की जानकारी होती है। मेरे द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सचिव से मिलने की कोशिश करने से उनको मुझ पर पूरी तरह से शक हो जाएगा तथा मिलीभगत के कारण से वह अपने अधीनस्थ कार्मिकों श्री गणेश कलवानी तथा अन्य को सतर्क कर सकते हैं जिससे कि ट्रैप कार्यवाही प्रभावित होगी, इसलिए श्री गणेश कलवानी को ही केवल 70000 रुपये रिश्वत राशि दिया जाकर पकड़ना ठीक होगा क्यूंकि हमारी कंपनी के बकाया भुगतान संबंधी प्रक्रिया जूनियर अकाउंटेंट श्री गणेश कलवानी जी ही करेंगे।

अति. पुलिस अधीक्षक, उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श, परिवादी से विचार विमर्श तथा अब तक प्राप्त तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 09.02.2024 को आरोपी श्री गणेश कलवानी तथा श्री मनीष कुमार के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाना तय किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अशोक कुमार को ट्रैप कार्यवाही आयोजन से पूर्व 70,000 रुपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 09.02.2024 को समय 09:30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए जाकर वक्त 11:00 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

दिनांक 09.02.2024 को वक्त 09:50 ए.एम पर कार्यवाही हेतु पाबंदशुदा कार्मिक श्री मोहनलाल कुलड़िया सहायक कृषि अधिकारी एवं श्री रमेश चंद्र भांभू सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), बीकानेर ब्यूरो

कार्यालय में उपस्थित हुए जिनको कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। वक्त 09:55 ए.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुए तथा रिश्वत राशि 70,000 रुपये का प्रबंध कर लिए जाने के बारे में मुझ पुलिस निरीक्षक को जानकारी प्रदान की गई। परिवादी द्वारा कंपनी UDAY BUILDWELL PRIVATE LIMITED की ओर से परिवादी के लिए जारी अधिकार पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। परिवादी ने बताया कि कंपनी ने मुझे ब्यूरो में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही ए.सी.बी. बीकानेर से कानूनी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत कर दिया था। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि सहित ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किए गए। वक्त 10:30 ए.एम पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित परिवादी श्री अशोक कुमार व गोपनीय राजकार्य हेतु तलबशुदा कार्मिक श्री मोहनलाल कुलड़िया सहायक कृषि अधिकारी तथा श्री रमेश चंद्र भांभू सहायक कृषि अधिकारी को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के कक्ष में बुलाया गया। कार्मिकों को गोपनीय राजकार्य ट्रैप संबंधी कार्यवाही के बारे में अवगत करवाते हुए कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति का पूछने पर दोनों कार्मिकों द्वारा ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र साक्षी बनने की सहमति प्रदान की गई। परिवादी तथा स्वतंत्र साक्षिगण का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र का स्वतंत्र साक्षिगण को अवलोकन करवाया जाकर कार्यवाही के अब तक के तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा कार्यवाही की गोपनीय संबंधी निर्देश प्रदान किए गए।

तत्पश्चात 03:00 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री अशोक कुमार ने स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष 500-500 रुपये के 140 नोट कुल 70,000 राशि भारतीय मुद्रा के निम्न वर्णन के प्रस्तुत किए गए-

क्र. सं.
नोट का विवरण
नम्बर नोट

1. एक 500 सौ रूपये का नोट
   9RF 843653
2. एक 500 सौ रूपये का नोट
   5QP 344146
3. एक 500 सौ रूपये का नोट
   5TN 516062
4. एक 500 सौ रूपये का नोट
   0KG 397615
5. एक 500 सौ रूपये का नोट
   7QH 286197
6. एक 500 सौ रूपये का नोट
   5HR 550998
7. एक 500 सौ रूपये का नोट
   3NB 907471
8. एक 500 सौ रूपये का नोट
   8KP 954660
9. एक 500 सौ रूपये का नोट
   7PQ 732447
10. एक 500 सौ रूपये का नोट
    4NM 170532
11. एक 500 सौ रूपये का नोट
    2HR 303364
12. एक 500 सौ रूपये का नोट
    9RS 199894
13. एक 500 सौ रूपये का नोट
    0PN 870282
14. एक 500 सौ रूपये का नोट
    1QC 585564
15. एक 500 सौ रूपये का नोट

32. एक 500 सौ रूपये का नोट
5MD 284895
33. एक 500 सौ रूपये का नोट
4AF 725583
34. एक 500 सौ रूपये का नोट
0GH 158927
35. एक 500 सौ रूपये का नोट
3LN 438750
36. एक 500 सौ रूपये का नोट
6UU 396926
37. एक 500 सौ रूपये का नोट
7QD 926239
38. एक 500 सौ रूपये का नोट
2PE 041880
39. एक 500 सौ रूपये का नोट
3ST 890996
40. एक 500 सौ रूपये का नोट
9FL 706746
41. एक 500 सौ रूपये का नोट
4KC 280803
42. एक 500 सौ रूपये का नोट
9VF 358227
43. एक 500 सौ रूपये का नोट
1WU 787522
44. एक 500 सौ रूपये का नोट
5RB 068796
45. एक 500 सौ रूपये का नोट
2NS 248784
46. एक 500 सौ रूपये का नोट
9AC 746868
47. एक 500 सौ रूपये का नोट
3TL 359156
48. एक 500 सौ रूपये का नोट
7HT 924551
49. एक 500 सौ रूपये का नोट
3RC 136908
50. एक 500 सौ रूपये का नोट
2NT 319213
51. एक 500 सौ रूपये का नोट
4FT 258631
52. एक 500 सौ रूपये का नोट
0GS 028448
53. एक 500 सौ रूपये का नोट
7GN 928414
54. एक 500 सौ रूपये का नोट
9FW 713990
55. एक 500 सौ रूपये का नोट
6FD 294057

80. एक 500 सौ रूपये का नोट
4PE 294579
81. एक 500 सौ रूपये का नोट
9LK 203413
82. एक 500 सौ रूपये का नोट
5AP 256983
83. एक 500 सौ रूपये का नोट
4MG 166269
84. एक 500 सौ रूपये का नोट
4MG 166267
85. एक 500 सौ रूपये का नोट
5HF 126498
86. एक 500 सौ रूपये का नोट
5EW 891542
87. एक 500 सौ रूपये का नोट
0LG 110101
88. एक 500 सौ रूपये का नोट
0PL 639063
89. एक 500 सौ रूपये का नोट
9LK 056280
90. एक 500 सौ रूपये का नोट
5TV 171502
91. एक 500 सौ रूपये का नोट
0KG 874753
92. एक 500 सौ रूपये का नोट
2NS 263817
93. एक 500 सौ रूपये का नोट
6KG 211953
94. एक 500 सौ रूपये का नोट
2FD 382355
95. एक 500 सौ रूपये का नोट
9GQ 768707
96. एक 500 सौ रूपये का नोट
5PH 355610
97. एक 500 सौ रूपये का नोट
2HA 198813
98. एक 500 सौ रूपये का नोट
8UL 748226
99. एक 500 सौ रूपये का नोट
6RS 938521
100. एक 500 सौ रूपये का नोट
8EL 608298
101. एक 500 सौ रूपये का नोट
3VV 110528
102. एक 500 सौ रूपये का नोट
7DA 768449
103. एक 500 सौ रूपये का नोट
9UR 819025

128. एक 500 सौ रूपये का नोट
0RK 171723
129. एक 500 सौ रूपये का नोट
4KT 799284
130. एक 500 सौ रूपये का नोट
4WD 963307
131. एक 500 सौ रूपये का नोट
0KV 813746
132. एक 500 सौ रूपये का नोट
9WC 223386
133. एक 500 सौ रूपये का नोट
5VM 158953
134. एक 500 सौ रूपये का नोट
8QQ 710163
135. एक 500 सौ रूपये का नोट
5WU 074795
136. एक 500 सौ रूपये का नोट
6UF 572777
137. एक 500 सौ रूपये का नोट
6PU 587093
138. एक 500 सौ रूपये का नोट
7SL 259218
139. एक 500 सौ रूपये का नोट
4TG 024254
140. एक 500 सौ रूपये का नोट
7ST 851093

श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त कनिष्ठ सहायक से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अशोक कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री मोहनलाल कुलड़िया से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 70,000 - रूपये परिवादी के पहनी हुई जैकेट के बाई साईड अंदर की जेब में श्री इमरान खां से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने आंखों पर लगे चश्मे को हटाते हुए ईशारा करे तथा यदि बाहर आकर ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री इमरान खान के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की आपसी रसायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को जलवाकर नष्ट किया गया। श्री इमरान खान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री इमरान खान को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर कार्यालय में छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मानकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

समय 04:01 पीएम पर परिवादी श्री अशोक कुमार ने आरोपी श्री गणेश कलवानी को उसके मोबाइल नंबर 9261157977 पर व्हाट्सऐप मैसेज के माध्यम से आरोपी से ऑफिस में मिल जाने का पूछने का मैसेज किया जिस पर आरोपी ने समय 04:06 पीएम पर अंग्रेजी में 'जी' लिखकर उत्तर दिया। कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील सं. 75 को ट्रैप

डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मैमोरी कार्ड दिया जाकर उसकी कार से नगर विकास न्यास, बीकानेर कार्यालय को रवाना किया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में ब्यूरो टीम नगर विकास न्यास, बीकानेर के आस पास सतर्कता से परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुई। अपनी कार पार्क कर परिवादी श्री अशोक कुमार नगर विकास न्यास कार्यालय में जाता नजर आया तथा कुछ ही समय बाद परिवादी श्री अशोक कुमार एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति के साथ नगर विकास न्यास, बीकानेर के बाहर बनी चाय की थड़ी की ओर जाता नजर आया। परिवादी श्री अशेाक कुमार उक्त व्यक्ति के साथ बगल में बैठकर कुछ देर चाय की थड़ी पर चाय पीते व वार्तालाप करते हुए कुछ नजर आया। कुछ ही समय पश्चात् वक्त 05.17 पी. एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार उक्त हृष्ट पुष्ट व्यक्ति के साथ चाय की थड़ी से उठकर नगर विकास न्यास कार्यालय बीकानेर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। परिवादी ने चलते हुए अपने सामने मुकीम श्री बजरंग सिंह सहायक उप निरीक्षक को देखकर रिश्वत लेनदेन का निर्धारित ईशारा किया, निर्धारित ईशारा देखकर श्री बजरंग सिंह सउनि तत्काल परिवादी के साथ चल रहे हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को अपनी बातों में उलझाकर उनके साथ नगर विकास न्यास की तरफ बढ़ने लगे, परिवादी श्री अशोक कुमार भी अपना चश्मा हाथ में लिए हुए साथ साथ चल रहा था। इसी दौरान मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल कुलड़िया व श्री रमेश चन्द्र भांभू, श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक, अनिल कुमार कानिस्टेबल परिवादी के नजदीक पहुंचे। परिवादी श्री अशोक कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को हृष्ट पुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया कि साहब ये श्री गणेश कलवानी जी है। इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री गणेश कलवाणी को स्वयं तथा ए.सी.बी. टीम का परिचय दिया जाकर आरोपी श्री गणेश कलवानी को हमराह लेकर नगर विकास न्यास के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित श्री गणेश कलवाणी के कमरा नंबर 16 में पंहुचे। इसी दौरान परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री हरीराम कानिस्टेबल व श्री भगवानदास कानिस्टेबल सह आरोपी श्री मनीष केशियर को उसके कक्ष से लेकर निर्देशानुसार इसी कक्ष सं. 16 में उपस्थित हुए। श्री मनीष को कक्ष में साईड में बैठाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री रतन सिंह कानिस्टेबल, मनोहरलाल कानिस्टेबल व श्री राजेन्द्र सैन हैड कानि. को भी इसी कक्ष में तलब किया गया। इसी दौरान आरोपी कैशियर श्री मनीष द्वारा दिनांक 07.02.2024 को परिवादी श्री अशोक कुमार को प्रदान किए चैक राशि 7,49,161 - रुपये संबंधी दो वाउचरों को भी श्री मनीष को उसके कैशियर कक्ष में ले जाकर मूल दोनों वाउचर श्री मनीष से कक्ष में रखे हुए एक दस्तावेज पैड से निकलवाकर प्राप्त कर कक्ष सं. 16 में लेकर आए। आरोपी श्री गणेश कलवाणी जो घबराया हुआ सा था, जिसे तसल्ली देकर मन् पुलिस निरीक्षक ने पुनः अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने का मकसद बताते हुए पूर्ण परिचय पूछने पर अपना नाम गणेश कलवाणी पुत्र श्री चेतनदास कलवाणी, जाति ब्राहम्ण, उम्र 38 वर्ष, निवासी गोविन्द पैलेस भवन के पीछे, नत्थूसर गेट के बाहर, बीकानेर हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, नगर विकास न्यास, बीकानेर (मो.नं. 9261157977) होना बताया, जिससे परिवादी श्री अशोक कुमार से अभी अभी चाय की थड़ी पर मिलना व इनसे रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूछने पर श्री गणेश कलवाणी मायूस होते हुए बोला साहब मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिये, इन्होंने जबरदस्ती 500-500 के नोटों की गड्डी मेरे पहनी जैकेट की सामने की उपरी बांयी जेब में रख दिये, मैंने रूपयों के हाथ नहीं लगाया, इन्होंने जबरदस्ती मेरी जैकेट की जेब में रूपये रख दिये हैं, मैंने रूपयों को गिना नहीं है, रूपये मेरी जेकेट के सामने की ऊपरी बांयी जेब में पड़े हैं। इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा काम करवा दो। मैंने इनकी फर्म मैसर्स उदय बिल्ड प्रा. लि. की एसडी राशि लगभग 7,50,000 - रूपये का भुगतान पूर्व में ही कर दिया है। मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है। यह श्री अशोक कुमार मेरे से दिनांक 08.02.2024 को ऑफिस में मिले थे, मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन मैंने कोई रिश्वत की मांग नहीं की। इस पर मौजूदा परिवादी श्री अशोक कुमार ने गवाहान व सभी के रूबरू स्वतः ही बताया कि साहब हमारी फर्म मैसर्स उदय बिल्डवैल प्रा. लि. नई दिल्ली ने नगर विकास न्यास बीकानेर में 2018-19 में स्ट्रीट लाईट, पार्क लाईट आदि से संबंधित 6 टेंडर प्राप्त किए थे जिसमें से 4 कार्यों को पूर्ण करवाया गया जाकर उनकी ई.एम.डी. राशि प्राप्त कर ली गई थी परंतु 2 निरस्त करवाए गए कार्यों की जमा ई.एम.डी. राशि अभी नगर विकास न्यास, बीकानेर में जमा पड़ी थी जो कि कंपनी के हिसाब से 1,79,485 रुपये थी। कंपनी की ओर पूर्ण करवाए गए 4 कार्यों का भुगतान नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा कंपनी को किया जाकर 10 प्रतिशत एस.डी. राशि के नाम पर कुल 12,48,513 रुपये की राशि तथा विदहैल्ड राशि के नाम पर कुल 4,50,000 रुपये राशि अर्थात् 18,77,998 रुपये कंपनी को भुगतान से शेष रही राशि नगर विकास न्यास द्वारा अब तक रोककर रखी गई थी। कंपनी द्वारा करवाए गए कार्यों की मेंटिनेंस अवधि भी गुजर चुकी थी। कंपनी के प्रतिनिधि के रुप में नगर विकास न्यास, बीकानेर से उक्त राशि प्राप्त करने के लिए मैं वर्ष 2021 से अब तक चक्कर काट रहा हूं। परंतु नगर विकास न्यास, बीकानेर के उपर्युक्त कर्मचारी श्री गणेश कलवानी तथा श्री मनीष कुमार द्वारा मुझसे कंपनी के बकाया भुगतानों को करने के लिए मुझसे रिश्वत की मांग की जा रही थी, इस संबंध में कंपनी के निर्देश पर मेरे द्वारा एक विस्तृत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर में इनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए दिया था। अभी कुछ देर पहले मै नगर विकास न्यास में इनके इसी ऑफिस में आया था, ये मुझे ऑफिस में नही मिले, कुछ देर बाद मेरे द्वारा श्री गणेश कलवाणी जी से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता करने पर इन्होंने मुझे पहले इंतजार करने का कहा उसके बाद इन्होंने मुझे व्हाट्सऐप कॉल करके यूआईटी गेट के बाहर की तरफ बुलाया था, फिर मुझे अपने साथ ले जाकर चाय की थड़ी पर चाय पिलाई, इस दौरान मेरी फर्म के भुगतान के सम्बंध में

बातचीत करते हुए इन्होने मेरे से रिश्वत मांगी तो मैंने 70000 - रूपये रिश्वत राशि अपनी पहनी जैकेट की जेब से बाहर निकाली तो श्री गणेश कलवाणी जी ने मुझे कहा कि लिफाफे में नहीं डालकर लाए। उसके बाद श्री गणेश कलवाणी जी ने स्वयं की पहनी हुई गहरे हरे रंग की स्लीवलैस जैकेट की अपने सामने के उपरी बायीं जेब को अपने हाथ से खोलकर उसमें रिश्वत राशि रखने का कहा तो मैने 70000 -रूपये इनके जैकेट की जेब मे रखे थे। इस दौरान श्री गणेश कलवाणी जी ने मुझसे रिश्वत राशि के बारे में पूछा कि कितने हैं तो मैंने 70 होना बताया था। श्री गणेश कलवाणीजी ने मुझे रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद सोमवार दो-ढाई बजे तक सारा काम करके कॉल कर बता देने की बात भी मुझे कही थी और कंपनी के भुगतानों के बारे में किया जाने वाले भुगतान का हिसाब भी मुझे व्हाट्सऐप कर देने की बात कही थी। उसके बाद श्री गणेश कलवाणी जी चाय की थड़ी से मुझे अपने साथ लेकर अपने साथ नगर विकास न्यास की ओर रवाना हुए इस दौरान मैंने अपना चश्मा उतारकर रिश्वत प्राप्त करने का निर्धारित ईशारा कर दिया था। रिश्वत राशि लेन-देन की पुष्टि होने तथा चाय की थड़ी से नगर विकास न्यास आते हुए आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि को छुने की संभावना को देखते हुए आरोपी श्री गणेश कलवाणी के दोनों हाथों की धोवन आवश्यक होने से हमराही ट्रेप बॉक्स से दो नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल श्री राजेन्द्र सैन मुख्य आरक्षक से तैयार करवाया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री गणेश कलवाणी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया, तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में श्री गणेश कलवाणी के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। उक्त दोनों प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को तोड़कर नष्ट किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री गणेश कलवाणी को रिश्वती राशि पेश करने के निर्देश दिये तो श्री गणेश कलवाणी ने कहा कि आप निकाल लो, जिस पर गवाह श्री रमेश चन्द्र से आरोपी श्री गणेश कलवाणी के पहनी जैकेट की तलाशी करवाई गई तो जैकेट की सामने की ऊपरी बांयी जेब में 500-500 रूपये के नोटों की थेई मिली, जो गवाह श्री रमेश चन्द्र से गिनवाने पर श्री रमेश चन्द्र ने 500-500 के 140 नोट कुल 70,000 -रूपये होना बताये। बरामद नोटों के नंबरों का मिलान पूर्व से बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाने पर नोटों के नंबर फर्द के अनुसार हूबहू पाये गये, नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर नोटो को सफेद कपड़े के साथ सीलचिट कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात सह आरोपी श्री मनीष से पूर्ण परिचय पूछने पर अपना नाम मनीष खत्री पुत्र श्री जगदीश चन्द्र खत्री, जाति खत्री, उम्र 38 वर्ष, निवासी 9/189 मुक्ताप्रसाद कॉलोनी बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक कम केशियर नगर विकास न्यास, बीकानेर (मो.नं. 9828467297) होना बताया। आरोपी श्री मनीष की परिवादी श्री अशोक कुमार से दिनांक 07.02.2024 को रिश्वत राशि मांग के संबंध में वार्ता होने व परिवादी को उसकी फर्म की एसडी राशि का चैक देने संबंधित वार्ता होने तथा सचिव व स्वयं के नाम से कमीशन स्वरूप प्रतिशत के रूप में रिश्वत की मांग के संबंध में पूछने पर श्री मनीष खत्री ने बताया कि साहब ये अशोक कुमार मेरे से दिनांक 07.02.2024 को मिला था, इनकी फर्म उदय बिल्ड वैल प्राईवेट लिमिटेड का चैक मैंने इनको दे दिया था, जो लगभग साढे सात लाख रूपये का था। मैंने अशोक कुमार से कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी, ना ही मैंने अशोक कुमार जी से रिश्वत राशि प्राप्त की है, मेरे पास इनका कोई काम पैंडिंग नहीं है। इस पर परिवादी श्री अशोक कुमार ने स्वतः ही बताया कि साहब मैं दिनांक 07.02.2024 को श्री मनीष जी केशियर से मिला था, तो श्री मनीष जी ने मुझसे वार्ता के दौरान चैक इनके द्वारा ही खाते में लगा देने अथवा मुझे ले जाने का विकल्प दिया था जिस पर मैंने चैक खुद ले जाने की सहमति दी थी। चैक राशि 7,49,161 - रुपये का था। इन्होंने चैक राशि का 2 प्रतिशत के हिसाब से 15000 रुपये सचिव के लिए रिश्वत मांगी थी व बाद में स्वयं का भी जोड़कर कुल 20000 रुपये रिश्वत मांगी थी। श्री मनीष जी ने मुझे चैक देकर कंपनी के दो एस.डी. वाउचरों पर मेरे हस्ताक्षर करवाकर मोबाइल नंबर लिखवाए थे और उक्त दोनों वाउचरों की फोटो भी मैंने मनीष जी के कहने पर मेरे मोबाइल में खींची थी। तत्पश्चात सह आरोपी श्री मनीष खत्री से उसके कैशियर कक्ष से प्राप्त कर लाए गए दिनांक 07.02.2024 के चैक संबंधी एस.डी. वाउचर मूल दस्तावेज का अवलोकन किया गया तो पाया कि एक बाउचर पर Order for refund of security Deposits अंकित है तथा राशि 4,93,739 -रूपये लिखा है। दूसरे बाउचर के अवलोकन से Order for refund of security Deposits अंकित है तथा राशि 2,55,422 -रूपये लिखा है। उक्त बाउचरों को जरिए फर्द पृथक से कब्जा एसीबी लिया जावेगा। तत्पश्चात एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। आरोपी श्री गणेश कलवाणी के पहनी गहरे हरे रंग की स्लीवलैस जैकेट को उतरवाकर रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी जैकेट की सामने की ऊपरी बांयी जेब का उल्टवाकर डूबोकर धोया गया, जो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर मार्क जे-1, जे-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षकर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री गणेश कलवाणी से परिवादी की फर्म से संबंधित दस्तावेजात का पूछने पर कक्ष में अपनी टेबल के ऊपर से एक लाल बस्ता प्रस्तुत किया, जिसमें तीन माप पुस्तिकाएं क्रमशः 413, 414, 415 एवं दो पत्रावलियां पायी गई

जिनका सरसरी अवलोकन किया गया, जो परिवादी की फर्म उदय बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड से संबंधित होने से कब्जा में ली गई।

कार्यवाही के दौरान वजह सबूतो को सीलमोहर करने में प्रयुक्त की गई फर्द नमूना सील तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त माप पुस्तिका एवं दो पत्रावलियां जरिये फर्द जब्त की गई। आरोपीगण को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफ्तार किया गया। आरोपी गणेश कलवाणी सहायक लेखाधिकारी का मोबाईल फोन अनुसंधान प्रयोजनार्थ फ्लाईटमोड पर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता के संबंध में कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप में कनैक्ट किया जाकर चैक करने पर विवरण निम्न अनुसार होना पाया गया-

S. N.
FILE NAME
DATE AND TIME OF CREATION
dd-mm-yyyy
hh:mm (24 Hrs)
HASH VALUE
(SHA-1)
1 240209_1636 09-02-2024
16:36 937aae0fb563f6d70c72ed3f05c9fa20e338f242

फर्द ट्रासंक्रिप्ट दिनांक 09.02.2024 के वक्त 10:30 पी.एम से प्रारम्भ कर दिनांक 10.02.2024 के वक्त 01:10 ए.एम तक मुर्तिब की जाकर रिकार्ड वार्ता के दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट किया गया तथा एक पैन ड्राईव अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुली अवस्था में रखा गया। तत्पश्चात उक्त वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड डीवीआर से निकालकर सैफ्टी कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट किया गया। कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील को अनुपयोगी कर तोड़कर नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। वक्त 01:20 ए.एम आरोपीगण श्री गणेश कलवाणी तथा श्री मनीष कुमार खत्री का स्वास्थ्य परीक्षण करवाए जाने हेतु पत्र एसपीएल 2 दिनांक 10.02.2024 जारी किया जाकर आरोपीगण को ब्यूरो स्टाफ श्री राजेंद्र हैड कानि. 127, श्री रतन सिंह कानि., हरीराम कानि. के साथ पुलिस थाना सदर, बीकानेर के वाहन व स्टाफ की सहायता से पीबीएम अस्पताल बीकानेर को रवाना किया गया। आरोपीगण श्री गणेश कलवाणी तथा श्री मनीष कुमार खत्री के सेवा विवरण रिकॉर्ड प्रदान करने संबंधी पत्र क्रमांक एसपीएल 4 दिनांक 10.02.2024 जारी कर नगर विकास न्यास, बीकानेर के उपस्थित कर्मचारी श्री संजय पंवार को प्रदान किया गया। नगर विकास न्यास, बीकानेर का भवन व कक्ष सुरक्षित व दुरुस्त हालत में श्री सजय पंवार तथा उपस्थित गार्ड को संभलाया गया। वक्त 02:15 ए.एम पर आरोपीगण श्री गणेश कलवाणी तथा श्री मनीष कुमार खत्री का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर ब्यूरो स्टाफ श्री राजेंद्र हैड कानि. 127, श्री रतन सिंह कानि., हरीराम कानि. पुलिस थाना सदर, बीकानेर के वाहन व स्टाफ सहित नगर विकास न्यास, बीकानेर कार्यालय उपस्थित हुए। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। आरोपीगणो को थाना सदर की हवालात में जमा करवाने हेतु पत्र तैयार कर आरोपीगण को ब्यूरो स्टाफ श्री राजेंद्र हैड कानि. 127, श्री रतन सिंह कानि., हरीराम कानि. के साथ पुलिस थाना सदर, बीकानेर के वाहन व स्टाफ की सहायता से पुलिस थाना सदर, बीकानेर को रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 02:25 ए.एम. दिनांक 10.02.2024 को नगर विकास न्यास, बीकानेर से मैं पुलिस निरीक्षक, ब्यूरो स्टाफ श्री बजरंग सिंह सउनि, श्री राजवीर सिंह हैड कानि., श्री अनिल कुमार कानि., श्री मनोहरलाल कानि., मय समस्त वजह सबूत, डीवीआर, दोनों स्वतंत्र साक्षिगण, परिवादी श्री अशोक कुमार सहित निजी वाहनों से नगर विकास न्यास, बीकानेर से ब्यूरो चोकी बीकानेर के लिए रवाना हुए। वक्त 02:40 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही स्टाफ, स्वतंत्र गवाह, परिवादी तथा श्री राजेंद्र हैड कानि. 127, श्री रतन सिंह कानि., हरीराम कानि. आरोपीगण को पुलिस थाना सदर, बीकानेर के हवालात मे जमा करवाकर उपस्थित ब्यूरो चौकी हुए। ट्रेप कार्यवाही घटनास्थल से संबंधित नगर विकास न्यास, बीकानेर से तैयार कर लाए गए समस्त वजह सबूतों को श्री बजरंग सिंह सउनि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात ट्रैप कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी श्री रमेश चंद्र भांभू, श्री मोहनलाल तथा परिवादी श्री अशोक कुमार को आज दिनांक 10.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे ब्यूरो कार्यालय नक्शा मौका कार्यवाही हेतु उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए गए। साक्षिगण तथा परिवादी को ब्यूरो चौकी से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 10.02.2024 को परिवादी व साक्षिगण के साथ घटनास्थल पहुंच समय 11:50 एएम पर रूबरू परिवादी एवं साक्षीगण के घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात ब्यूरो चौकी पहुंचक परिवादी एवं गवाहान को रूखस्त किया गया। आरोपीगणो को थाना सदर की हवालात से प्राप्त कर जरिये रिमाण्ड फार्म माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणो को न्यायिक अभिरक्षा

कार्यालय उपस्थित होकर आरोपी श्री गणेश कलवाणी-सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय तथा श्री मनीष कुमार खत्री-कैशियर सह कनिष्ठ लिपिक कर्मचारीगण नगर विकास न्यास, बीकानेर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारतः आरोपित किया कि कंपनी UDAY BUILDWELL PRIVATE LIMITED द्वारा कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास न्यास, बीकानेर में स्ट्रीट लाईट, पार्क लाईट, हाई मास्ट लाईट के कुल 6 टेंडर के लिए ऑनलाईन आवेदन करके टेंडर प्राप्त किया था। उक्त कार्यों में से दो निविदा के हाई मास्ट संबंधी कार्यादेश होने के उपरांत हमारी कंपनी ने किसी कारणवश कार्य प्रारंभ नहीं किया था व उक्त दोनों कार्य को निरस्त करवा लिया गया था। कंपनी ने शेष 4 निविदा से संबंधी कार्य आदेश स्ट्रीट लाईट, पार्क लाईटों की स्थापना, केबल रेनोवेशन वर्क आदि संबंधी जारी होने पर कार्य प्रांरभ कर पूर्ण किया था। कंपनी की ओर से उक्त 6 कार्यों के कार्यादेश जारी होने के बाद ई.एम.डी. राशि नगर विकास न्यास, बीकानेर के खाते में जमा करवाई गई थी जिसमें से कंपनी की ओर से नगर विकास न्यास, बीकानेर में पूर्ण करवाए जा चुके उपर्युक्त 4 कार्यों संबंधी ई.एम.डी. राशि कंपनी को पूर्व में प्राप्त हो चुकी है तथा 2 निरस्त करवाए गए कार्यों की ई.एम. डी. राशि 1,79,485 रुपये वर्तमान में भी नगर विकास न्यास बीकानेर में जमा है तथा कंपनी को अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा वर्ष 2019 में उपर्युक्त 4 कार्यों को पूर्ण करने की ऐवज में कंपनी को किए गए भुगतान की राशि के बिलों में भी नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा 10 प्रतिशत एस.डी. राशि के नाम पर कुल 12,48,513 रुपये की राशि तथा विदहोल्ड के नाम पर कुल राशि 4,50,000 रुपये को जान बूझकर रोका हुआ है। जबकि हमारे द्वारा कार्य को समाप्त करने के बाद मेटिनेंस अवधि भी गुजर चुकी है। नगर विकास न्यास, बीकानेर कंपनी की उक्त ईएमडी राशि, एस.डी राशि, विदहोल्ड राशि को भुगतान कर देने के झूठे आश्वासन दे रहे हैं। परिवादी ने नगर विकास न्यास, बीकानेर के कर्मचारी श्री गणेश कलवाणी-जूनियर अकाउंटेंट द्वारा कंपनी के 3 कार्यों से संबंधित 10 लाख रुपये भुगतान की ऐवज में 4.25 कमीशन के हिसाब से राउंड फिगर में 40,000 रुपयों की मांग की। परिवादी ने आरोपित किया कि नगर विकास न्यास, बीकानेर के कर्मचारी श्री मनीष कुमार खत्री-कैशियर ने इसी भुगतानों के क्रम में कंपनी की भुगतान राशि 7,49,161 - रुपयों का चैक प्राप्त कर लेने के लिए परिवादी को कॉल किया जाकर रिश्वत की मांग की।

आरोपी श्री मनीष कुमार खत्री-कैशियर सह कनिष्ठ लिपिक से दिनांक 07.02.2024 को परिवादी के चैक प्राप्त करने के दौरान ब्यूरो द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री मनीष कुमार खत्री द्वारा परिवादी से वार्ता के दौरान कंपनी भुगतान संबंधी चैक राशि 7,49,161 - उनके (मनीष) द्वारा ही खाते में लगाने अथवा परिवादी को ले जाने का विकल्प दिया था जिस पर परिवादी ने चैक खुद ही ले जाने के लिए सहमति दी थी। आरोपी श्री मनीष कुमार खत्री द्वारा परिवादी को चैक प्रदान कर चैक राशि के 2 प्रतिशत के हिसाब से 15,000 रुपये सैकेट्री के लिए रिश्वत मांगी तथा बाद में कुल 20,000 रुपये रिश्वत मांगी है जो कि उसने स्वयं तथा सैक्रेट्री दोनों के लिए होना बताया है। आरोपी श्री मनीष ने परिवादी को भुगतान संबंधी वाउचरों की फोटो भी मोबाइल फोन में खिंचवाई।

आरोपी श्री गणेश कलवाणी-सहायक लेखाधिकारी द्वितीय से दिनांक 08.02.2024 को परिवादी द्वारा कंपनी के भुगतान संबंधी वार्ता के दौरान रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान कंपनी को दिनांक 07.02.2024 किए गए चैक भुगतान 7,49,161 - रुपयों तथा शेष रही राशि लगभग 12 लाख रुपये कुल लगभग 19 लाख रुपये के भुगतान की ऐवज में 4.25 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 80,000 रुपये रिश्वत राशि बनाते हुए परिवादी के कहने पर 70,000 रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। श्री गणेश कलवाणी द्वारा आरोपी श्री मनीष सहित सारा हिसाब स्वयं के द्वारा ही किए जाने की बात परिवादी को बताई। उक्त 4.25 प्रतिशत का हिसाब श्री गणेश कलवाणी द्वारा 2 प्रतिशत अकाउंट अर्थात् स्वयं, 2 प्रतिशत सचिव तथा 0.25 प्रतिशत हिस्सा कैशियर श्री मनीष का होना परिवादी को समझाया। उपर्युक्त परिस्थितियों, आरोपीगण की कार्यशैली, सतर्कता तथा परिवादी से हुए विचार विमर्श के आधार पर आरोपी श्री गणेश कलवाणी से ही 70000 रुपये रिश्वत राशि लेनदेन कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। आरोपीगण द्वारा आपराधिक षड़यंत्र करते हुए परिवादी से कमीशन के रुप में रिश्वत मांग किए जाने के, स्वयं के स्तर पर चैक भुगतान करने में सक्षम होने के उपरांत भी परिवादी को रिश्वत प्राप्ति के उद्देश्यों से बुलाकर प्रताड़ित करने के तथ्यों के आधार पर दिनांक 09.02.2024 को आरोपीगण श्री गणेश कलवाणी तथा श्री मनीष कुमार खत्री के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री गणेश कलवाणी को 70,000 रुपये रिश्वत राशि सहित नगर विकास न्यास, बीकानेर कार्यालय के बाहर पकड़ा गया तथा आरोपी श्री मनीष कुमार खत्री को उसके कैशियर कक्ष से पकड़ा जाकर गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के कब्जे से परिवादी की कंपनी से संबंधी दस्तावेज, एम.बी., पत्रावलियां प्राप्त हुई जिन्हें अभिगृहीत किया गया। अनुसंधान प्रायोजनार्थ आरोपी श्री गणेश कलवाणी का मोबाइल फोन जब्त किया गया।उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर आरोपीगण 1. श्री गणेश कलवाणी पुत्र श्री चेतनदास कलवाणी, जाति ब्राह्म्ण, उम्र 38 वर्ष, निवासी गोविन्द पैलेस भवन के पीछे, नत्थूसर गेट के बाहर, बीकानेर हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय व प्रभारी लेखा शाखा, नगर विकास न्यास, बीकानेर 2. श्री मनीष कुमार खत्री पुत्र श्री जगदीश चन्द्र, जाति खत्री, उम्र 38 वर्ष, निवासी वर्तमान पता-9/189 मुक्ताप्रसाद कॉलोनी बीकानेर, स्थाई पता- 16 10 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक सह कैशियर नगर विकास न्यास, बीकानेर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120बी भादंसं प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। दिनांक

08.02.2024 की पृथक्-पृथक् रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं से प्राप्त तथ्यों के अनुसार दोनों आरोपीगण द्वारा परिवादी से मांगी जा रही रिश्वत राशि में से 2 प्रतिशत हिस्सा सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर का होने की बात भी कही गई है। परिवादी की कंपनी के भुगतान में किए गए अत्यधिक विलंब की स्थिति को देखते हुए सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर की भूमिका भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है जिसके संबंध में अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित होगा। अतः उक्त दोनों आरोपीगण 1. श्री गणेश कलवाणी व 2. श्री मनीष कुमार खत्री के विरुद्ध उपर्युक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित होगी।(आनन्द मिश्रा)....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के माध्यम से श्री आनंद मिश्रा, निरीक्षक पुलिस के द्वारा जरिये ईमेल प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में में आरोपी 1. श्री गणेश कलवाणी पुत्र श्री चेतनदास कलवाणी, हाल सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, प्रभारी लेखा शाखा, नगर विकास न्यास बीकानेर एवं 2. श्री मनीष कुमार खत्री पुत्र श्री जगदीशचन्द्र खत्री, हाल कनिष्ठ सहायक सह कैशियर नगर विकास न्याय बीकानरे विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 25/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री विजेन्द्र कुमार सीला, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय को सुपुर्द कर प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट संख्या 130 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांकः- 126-30 दिनांकः11.02.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।2.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।3.निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।4.
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, नगर विकास न्यास बीकानेर।5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vijendra Kumar Siila **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/02/2024 17:09:05

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	24/01/1985				
2	Male	29/12/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)